सीड फंड नए स्टार्टअप की शुरुआत में बनेगा मददगार

स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ की सीड मनी का किया गया प्रावधान

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। बजट में 100 करोड़ के सीड फंड के प्रावधान से नए स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को काफी फायदा मिलेगा। इससे प्रदेश में स्टार्टअप ईको सिस्टम व नए विचारों को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। वहीं, छोटी-छोटी मदद के लिए प्रयास कर रहे नए स्टार्टअप को भी मूर्त रूप दिया जा सकेगा।

स्टार्टअप नीति 2020 के तहत प्रदेश में 100 इन्क्यूबेशन सेंटर शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। ताकि स्टार्टअप व इनोवेशन में राष्ट्रीय रैंकिंग में टॉप थ्री स्थान हासिल किया जा सके। अब तक प्रदेश में करीब 55 इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर राज्य विवि में भी यह सेंटर खोले व रजिस्टर किए गए हैं। यहां काफी संख्या में विद्यार्थियों के विचारों को इन्क्यूबेट किया जा रहा है। सिर्फ एकेटीयू स्थित इनोवेशन हब व प्रदेश के 15 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्थापित इन्क्यूबेशन सेंटर में 264 स्टार्टअप चल रहे हैं।

इनोवेशन हब के एसोसिएट डीन डॉ. अनुज शर्मा ने बताया कि किसी भी स्टार्टअप को शुरुआती सहयोग के लिए अलग-अलग पांच लाख, साढ़े सात लाख की सीड मनी व अलाउंस भी देते हैं। इनके लिए इन्हें स्टार्ट इन यूपी पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। बजट में कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप की शुरुआत काफी प्रभावी होगी।